समाहरणालय, दुमका
(उप श्रमा0 का0)

!! अल्पकालीन निविदा !!

दुमका जिला में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे व्यक्तियों यथा–निर्धन, अपंग, विधवा, भूमिहीन, निःसहायः, वृद्ध एवं भिक्षुकों के बीच मुफ्त कम्बल, वितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में कम्बल क्रय के लिए दिनांक–...20/12/18 को ..03.. बजे अपराह्न तक मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में कम्बल क्रय हेतु प्राप्त आवंटन के अनुसार **49778** अद्द कम्बल क्रय की जानी है। क्रय किये जाने वाले कम्बल (ऊनी) का व्यौरा निम्न प्रकार हैं :–

वस्त्र / कम्बल	वजन	विशिष्टता	अधिकतम दर
कम्बल (ऊनी)	2.00 किलो ग्राम (न्यूनतम)	लं0xचौ0 90"x60"	300(तीन सौ) रूपयें

निविदा उप श्रमायुक्त का कार्यालय, संताल परगना प्रमण्डल, दुमका में प्राप्त किया जायेगा। निविदा निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त नहीं किया जायेगा। निविदा दिनांक–20/12/18 को ..04.. बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित क्रय समिति के सदस्यों एवं निविदा दाता या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी। इच्छुक निबंधित फर्म / खादी ग्रामोद्योग संस्थान / सरकारी / अर्द्धसरकारी संस्थान निविदा में भाग ले सकते है।

तकनीकी शर्त्ते

1. निविदादाता को निविदा के साथ 1,50,000/–(एक लाख पचास हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट उपायुक्त, दुमका के पदनाम से प्रतिभूति रकम के रुप में जमा करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को झारखण्ड राज्य का वाणिज्य कर विभाग, का GST निबंधन प्रमाण पत्र, PAN कार्ड की छायाप्रति, GST का अद्यतन रिटर्न तथा आयकर रिटर्न वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता को झारखण्ड राज्य के किसी भी जिले में कालीसूची दर्ज नहीं रहने के संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को सरकारी विभाग में कार्य करने का कार्यानुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाताओं को टर्न ओभर 50,00,000/–(पचास लाख) एवं इससे अधिक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

वित्तीय शर्त्ते

6 निविदादाता को कम्बल के दर के लिफाफे पर वित्तीय बीड तथा प्रतिभूति रकम की राशि एवं अन्य कागजातों को दूसरें लिफाफे में "तकनीकी बीड" अंकित कर पुनः दोनों को एक अन्य लिफाफे में भरकर उपायुक्त, दुमका के पदनाम से जमा करना होगा।

अन्त शर्त्ते :–

5 तकनीकी विवरणी तथा वित्तीय विवरणी अलग–अलग सील बंद लिफाफे में डालकर पुनः एक बडे लिफाफे में दोनों लिफाफा को डालकर निविदा समर्पित करेंगें।

6 निविदा का निर्णय कम्बल की गुणवत्ता, वजन एवं दर के आधार पर किया जायेगा।

7 निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि दिनांक–20/12/18 को 04 बजे अपराह्न में आयोजित क्रय समिति की बैठक में अपने कम्बल के नमूना के साथ भाग ले सकते हैं। निविदा दाता को उपरोक्त सामग्री का एक ही दर निविदा में अंकित करना होगा एवं एक ही नमूना जिला क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

8 निविदा के आधार पर निर्धारित दर पर आपूर्ति आदेश निर्गत होने के **15 दिनों** के भीतर जिलान्तर्गत सभी अनुमंडल/प्रखंड/नगर पंचायत/नगर परिषद् में पहुँचा कर आपूर्ति करना

अनिवार्य होगा। इसके लिए कोई मार्ग व्यय/परिवहन व्यय देय नहीं होगा, तथा भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकार से प्राप्ति रसीद प्राप्त कर प्रस्तुत करना प्रमाण–पत्र करना अनिवार्य होगा।

9 कम्बल की आपूर्ति निर्धारित समय पर नहीं करने पर भुगतान के समय 10% की राशि कटौती कर ली जायेगी तथा काली सूची में नाम डालने की कारवाई की जायेगी।

10 कम्बल का क्रय सरकारी नियमों एवं निदेशों के तहत् किया जायेगा।

11 निविदा को स्वीकृत या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

12 सभी कम्बलों में झारखण्ड सरकार, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग का लोगो (Logo) लगाना अनिवार्य होगा।

13 कम समय में आपूर्ति करन वाले निविदादाता को प्राथमिकता दी जायेगी।

14 L1 निर्धारित होने के उपरांत उसी न्युनतम दर पर अन्य निविदाताओं को भी आपूर्ति आदेश दी जा सकती है।

15 सशर्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा किसी भी निविदा को स्वीकृत /अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

विशेष जानकारी के लिए श्रम अधीक्षक, दुमका/उप श्रमायुक्त, दुमका से कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/–

उपायुक्त,
दुमका

ज्ञापांक 1007/श्र0का0, दुमका, दिनांक –05/12/2018

प्रतिलिपि :– 1. जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सूचना का प्रकाशन सभी प्रमुख दैनिक/स्थानीय समाचार पत्रों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि निविदा को जिले के वेबसाइट में अपलोड कराया जाय।

उपायुक्त,
दुमका